कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर।

नोटिस

सर्व साधारण को सूचित किया जाता हैं कि आम नागरिकों, गरीबों, महिलाओं, बच्चों एवं बंचित तबकों को विधिक सहायता प्रदान करने तथा आम जन मानस में विधिक जागरूकता लाकर उनके विधिक अधिकारों व कर्त्तव्यों से उन्हें अवगत कराने के उद्देश्य से नालसा के पराविधिक स्वयंसेवक योजना के अधीन पराविधिक स्वयं सेवको का चयन किया जाना है।

इस संदर्भ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्तर पर अधिकतम 50 तथा जनपद गाजीपुर के 7 तहसील विधिक सेवा समितियॉ– सदर, जमानियॉ, सैदपुर, जखनियॉ, मुहम्मदाबाद, कासिमाबाद, व सेवराई के प्रत्येक तहसील स्तर पर अधिकतम् 25–25 पैराविधिक स्वयंसेवकों का चयन किया जाना है। आवेदक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या 7 तहसील विधिक सेवा समितियों में से किसी एक तहसील विधिक सेवा समिति के लिए ही अपना आवेदन कर सकता है।

तद्नुसार इच्छुक व्यक्यिों से आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक का साक्षर एवं हाईस्कूल उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अन्य विशिष्ठ योग्यता रखने वाले आवेदकों को वरीयता दी जायेगी। उपरोक्त योग्यता के अनुसार निम्नलिखित समूहों से संबंधित कोई भी व्यक्ति निर्धारित प्रारूप पर आवेदन कर सकता है।

1– अध्यापक (अवकाश प्राप्त अध्यापक सहित)।
2– अवकाश प्राप्त सरकारी सेवक एवं वरिष्ठ नागरिक।
3– एम.एस.डब्लू. छात्र और अध्यापक।
4– आंगनबाड़ी कार्यकत्री।
5– डाक्टर/फिजिशियन।
6– छात्र व विधि छात्र।
7– गैर राजनीतिक सदस्य, सेवा आधारित एन.जी.ओ. या क्लब्स के सदस्य।
8– महिला पड़ोस या मैत्रीसंघ एवं अन्य स्वयं सेवी संगठनो, सीमान्त/असुरक्षित संगठनों से संबंधित सदस्य।
9– लम्बी अवधि के कारावास के दण्ड से दण्डित शिक्षित एंव सद्व्यवहार रखने वाले कैदी।

आवेदन पत्र कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर में जमा/प्राप्त होने की अन्तिम तिथि–16–05–2019 सायं 5 बजे तक हैं। उक्त समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर विचार नही किया जायेगा। आवेदक अपने आवेदन में यह अवश्य रूप से उल्लिखित करें कि वह जिला स्तर पर/तहसील स्तर या ग्राम स्तर पर अपनी सेवा देने का इच्छुक है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पराविधिक स्वयं सेवक को काम के लिए समय–समय पर नालसा स्कीम द्वारा निर्धारित मानदेय/भत्ता के अतिरिक्त अन्य कोई वेतन, भत्ता या पारिश्रमिक देय नहीं होगा। आवेदन प्राप्त करने के उपरान्त संबंधित चयन समिति द्वारा सक्षम योग्यता रखने वाले आवेदक को साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा। साक्षात्कार की तिथि के संबंध में बाद में सूचना प्रेषित की जायेगी। आवेदन पत्र का प्रारूप नोटिस के साथ पृथक से चस्पा किया जा रहा हैं। नोटिस और आवेदन पत्र का प्रारूप दीवानी न्यायालय गाजीपुर के वेबसाइट https://districts.ecourts.gov.in/ghazipur पर भी उपलब्ध हैं।

Skumar 06/05/19

दिनांकः 06-05-2019

(सुनील कुमार VI)
सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
गाजीपुर।

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर।

पराविधिक स्वयंसेवक हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप–

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा तहसील विधिक सेवा समिति का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा हैं–

1– अभ्यर्थी का नाम– ....

2– पिता / पति का नाम– ....

स्वप्रमाणित नवीनतम पासपोर्ट साईज रंगीन फोटोग्राफ चिपकाए।

3– जन्म तिथि– ....

4– स्थायी पता– ....
....
....

5– वर्तमान पता– ....
....
....

6– धर्म– ....

7– वर्ग– ....
(सामान्य / अति पिछड़ा वर्ग / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति)

8– पुरूष / महिला ....

9– (क) शैक्षिक योग्यता– ....
(ख) विशेष योग्यता यदि कोई हो– ....
(ग) पूर्व / वर्तमान कार्य का अनुभव–..

10– कार्य स्थल की वरीयता / आवेदक जहॉ कार्य करने को इच्छुक हो–
(क) जनपद स्तर पर–
(ख) तहसील स्तर पर–
(ग) ग्राम स्तर पर–

11– मोबाईल नम्बर / फोन नम्बर–..

उद्घोषणा–

मैं...पुत्र / पुत्री / पत्नीश्री...घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा दिये गये उपरोक्त विवरण सही व सत्य हैं।

दिनांक:

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर